

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1165
उत्तर देने की तारीख-29/07/2026

विद्यालयों में रिक्त पद

1165 श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों की स्वीकृत पदों, कार्यरत पदों तथा रिक्त पदों की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है;
- (ख) केवल एक शिक्षक के साथ संचालित सरकारी विद्यालयों की राज्य-वार तथा स्तर-वार संख्या कितनी-कितनी है;
- (ग) क्या सरकार ने शिक्षकों की कमी का अधिगम परिणामों तथा छात्र-शिक्षक अनुपात पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) सरकार द्वारा शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने तथा एकल-शिक्षक विद्यालयों की व्यवस्था समाप्त करने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, देश के अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। तदनुसार, शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आती है। ग्रामीण, जनजातीय और आकांक्षी जिलों सहित सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, नए पदों के सृजन, शिक्षक तैनाती को युक्तिसंगत बनाने और नामांकन में परिवर्तन जैसे कारकों के कारण समय-समय पर शिक्षकों की रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। वर्ष 2024 से 2026 की अवधि के दौरान सरकारी स्कूलों में संस्वीकृत पदों, शिक्षक रिक्तियों के सापेक्ष संस्वीकृत शिक्षक पदों, पदस्थ शिक्षकों तथा इन रिक्तियों के कारणों से संबंधित राज्य-वार आँकड़े, जिनमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य भी शामिल हैं, संबंधित राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा रखे जाते हैं।

यूडाइज+ 2025-26 के अनुसार, देश भर के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में है।

इसके अलावा, यूडाइज+ 2025-26 के अनुसार देश में एकल-शिक्षक स्कूलों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र -वार ब्यौरा अनुलग्नक-II में रखा गया है।

केन्द्र सरकार समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वायत्त शिक्षक भर्ती बोर्डों अथवा इसी प्रकार के तंत्रों सहित पारदर्शी और योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से रिक्त पदों को भरने की सलाह देती है। प्रतिस्पर्धी चयन, निरंतरता और प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षक आवश्यकता योजना और पूर्वानुमान पर बल देने के साथ बैठकों और परामर्शिकाओं के माध्यम से भर्ती की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर उपयुक्त छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखने के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के पैरा 2.3 में प्रत्येक स्कूल में छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) 30:1 से कम और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के उच्च अनुपात वाले क्षेत्रों में 25:1 से कम बनाए रखने पर बल दिया गया है। यूडाइज+ 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर पीटीआर प्राथमिक स्तर पर 19, उच्च प्राथमिक स्तर पर 17, माध्यमिक स्तर पर 15 और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 23 है, जो एनईपी 2020 के तहत परिकल्पित मानदंडों के अंतर्गत है।

इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय 'स्कूल प्रमुख और शिक्षकों के समग्र विकास हेतु राष्ट्रीय पहल' (निष्ठा) नामक एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल शिक्षा स्तर पर अधिगम परिणामों में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय मिशन लागू कर रहा है। निष्ठा पाठ्यक्रमों को प्रारम्भिक, माध्यमिक, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (एफएलएन), प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) और शैक्षिक प्रौद्योगिकी के लिए तैयार और कार्यात्मक बनाया गया है तथा एनसीईआरटी द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली व्यावसायिक रूप से बनाई गई ई-सामग्री का उपयोग करके दीक्षा प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन रूप से प्रस्तुत किया जाता है।

माननीय संसद सदस्य श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा "विद्यालयों में रिक्तियों" के संबंध में दिनांक 29/07/2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1165 के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित अनुलग्नक

सरकारी स्कूलों में पदस्थ शिक्षक (2025-26)

राज्य	सरकारी स्कूलों में कुल शिक्षक 2025-26			
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	877	799	893	2189
आंध्र प्रदेश	74616	7254	87545	31710
अरुणाचल प्रदेश	3001	6576	3123	3588
असम	95731	40479	40954	39552
बिहार	164481	242606	635	128339
चंडीगढ़	43	284	2270	2921
छत्तीसगढ़	74645	53452	10282	47760
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	546	1656	271	791
दिल्ली	18287	319	2343	62435
गोवा	1997	321	999	488
गुजरात	27386	153108	3747	10438
हरियाणा	32256	10378	7120	51215
हिमाचल प्रदेश	19080	5243	7270	34674
जम्मू और कश्मीर	18748	38988	17578	16255
झारखंड	35945	45188	16322	18917
कर्नाटक	34830	95197	43325	20292
केरल	16294	15626	6447	44234
लद्दाख	734	2426	1054	1075
लक्षद्वीप	179	192		358
मध्य प्रदेश	128006	122807	43375	105782
महाराष्ट्र	91352	108297	15092	8946
मणिपुर	6615	2944	3896	3515
मेघालय	9964	7587	1054	1692
मिजोरम	5378	5560	2148	1153
नागालैंड	5791	5968	4231	2205

ओडिशा	60916	78991	58487	14771
पुदुचेरी	1513	551	1064	1831
पंजाब	51471	8217	17558	45567
राजस्थान	63341	116481	966	260282
सिक्किम	2038	2220	2485	4190
तमिलनाडु	56778	47102	29931	87640
तेलंगाना	43867	14336	60283	37692
त्रिपुरा	4862	5840	5926	10253
उत्तर प्रदेश	340103	259477	7025	20519
उत्तराखंड	22738	7270	5810	23583
पश्चिम बंगाल	239882	18261	27315	162655
भारत	1754291	1532001	538824	1309507

(स्रोत यूडाइज+ 2025-26)

माननीय संसद सदस्य श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा "विद्यालयों में रिक्तियों" के संबंध में दिनांक 29/07/2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1165 के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2025-26 में सभी प्रबंधन हेतु एकल शिक्षक स्कूल

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2025-26 में सभी प्रबंधन हेतु एकल शिक्षक स्कूल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
आंध्र प्रदेश	16357
अरुणाचल प्रदेश	473
असम	3159
बिहार	2006
छत्तीसगढ़	2461
दिल्ली	7
गुजरात	2335
हरियाणा	1278
हिमाचल प्रदेश	3128
जम्मू और कश्मीर	1544
झारखंड	9827
कर्नाटक	8042
केरल	67
लद्दाख	28
मध्य प्रदेश	2269
महाराष्ट्र	9269
मणिपुर	446
मेघालय	1124
मिजोरम	125
नागालैंड	35
ओडिशा	1458
पंजाब	1749
राजस्थान	7200
सिक्किम	31
तमिलनाडु	3957
तेलंगाना	4793
त्रिपुरा	376
उत्तर प्रदेश	7874
उत्तराखंड	2655
पश्चिम बंगाल	6769
भारत	100843

(स्रोत: यूडाइज+ 2025-26)